

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/मा-स/22444/विविध/2019/76

दिनांक: 18.09.2019

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक  
स्कूल शिक्षा

**विषय :-** उपस्थिति पंजिका का संधारण एवं हस्ताक्षर करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य की समस्त विद्यालयों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों का समय पर उपस्थित होना अनुशासन का पहला चरण है। प्रत्येक कर्मचारी का यह दायित्व होगा की वह समय पर अपने कार्य पर उपस्थित हो। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

01. प्रत्येक विद्यालयों में राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए एक ही उपस्थिति पंजिका संधारित होगी, जो विद्यालय संस्था प्रधान के नियंत्रण में रहेगी।
02. विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधान एवं राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारी संस्था प्रधान के सामने उपस्थिति पंजिका में अपने लघु हस्ताक्षर करेंगे।
03. उपस्थिति पंजिका में समस्त कर्मचारी प्रतिदिन दिनांक के कॉलम में अपने लघु हस्ताक्षर करेंगे और लघु हस्ताक्षरों के नीचे विद्यालय में आने/जाने का समय अंकित करेंगे।
04. एक सप्ताह में दो बार विलम्ब से आने पर उस अधिकारी/कर्मचारी के एक आकस्मिक अवकाश के कटौती के आदेश कर दिए जाने चाहिए। इस प्रकार किए गए आदेश की एक प्रति अधिकारी/कर्मचारी की वैयक्तिक पत्रावली में रखी जावेगी और उसका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन लिखते समय इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही किसी कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश समाप्त हो जाए तो उसे बिना वेतन का अवकाश (यदि इसके लिए और कोई अवकाश शेष नहीं है)स्वीकृत किया जाना चाहिए। जो अधिकारी/कर्मचारी आदतन विद्यालय में विलम्ब से आते हैं, उनके विरुद्ध वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमों के नियम 17 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।
05. यदि राजपत्रित अधिकारी प्रथम बार देरी से आते हैं तो उन्हें लिखित चेतावनी दी जानी चाहिए। ऐसी चेतावनी उनकी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में लिखी जानी चाहिए। दूसरी बार देरी से आने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।



(नथमल डिंडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर